रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 984] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 12, 2018/फाल्गुन 21, 1939
No. 984] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 12, 2018/PHALGUNA 21, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2018

का.आ.1102(अ).—सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के नियम 5 और नियम 7 के साथ पठित सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) की धारा 3 और धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सांख्यिकीय सर्वेक्षण के माध्यम से थोक मूल्य सूचकांक (थो.मू.सू.) की नई श्रृंखला के लिए विनिर्माण वस्तुओं के थोक मूल्य के आंकडों के संग्रहण का निदेश देता है, तत्पश्चात् अनुसूची में दर्शाये गए विवरणानुसार ["वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मासिक थोक मूल्य सूचकांक (आधार 2011-12 = 100) पर सर्वेक्षण" हेतु निर्दिष्ट करता है।]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना सं. का. आ.3699(अ), दिनाँक 21 नवम्बर, 2017 एवं भविष्य में समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है के अन्तर्गत नियुक्त सांख्यिकी अधिकारियों को उनकी उल्लिखित भौगोलिक इकाईयों के बाबत सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है।

अत: इसलिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विविध सर्वेक्षण अनुभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (फील्ड ऑपरेशन डिविज़न), मुख्यालय क्षेत्र संकार्य प्रभाग, सांख्यिकी भवन, सामान्य पूल कार्यालय आवास (जी.पी.ओ.ए.) बिल्डिंग, केन्द्रीय व्यवसायिक क्षे, शाहदरा, करकरडूमा कोर्ट के नजदीक, दिल्ली-110032 को वित्त वर्ष 2018-19 के मासिक थोक मूल्य आंकड़े पर सर्वेक्षणाधीन सांख्यिकी संग्रहण में सहायता करने तथा पर्यवेक्षण करने के लिए अभिकरण के रूप में नियुक्त करता है।

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय समस्त सांख्यिकी अधिकारियों को उस भौगोलिक इकाई के भीतर जिसके लिए सांख्यिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है अनुबंध के आधार अभिकरणों या ऐसे अभिकरणों में कार्यरत व्यक्तियों या कर्मचारियों को या कंपनी या संगठन या व्यक्तियों की संस्था को अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अन्तर्गत नियोजित करने की शक्ति प्रत्यायोजित करता है।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन समस्त सांख्यिकी अधिकारियों को प्रारूप, अपेक्षित विशिष्टियां या वह अंतराल जिसके भीतर सांख्यिकी अधिकारी को सांख्यिकीय जानकारी दी जाएगी विर्निदिष्ट करने की शक्ति प्रत्यायोजित करता है।

संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र या प्राधिकार-पत्र अपने पास रखेंगे और अपनी अधिकार-क्षेत्र में प्रत्येक सूचना प्रदाता द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन करने, सुसंगत अभिलेख का निरीक्षण करने और यदि आवश्यक हो तो स्पष्टीकरण मांगने का कार्य करेंगे।

यथोचित सत्यापन और संवीक्षा के पश्चात्, सूचना प्रदाताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दिए गए मासिक मूल्य आंकड़ों पर सर्वेक्षण के संबंध में संगृहीत आंकड़ों का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा कार्यवाई की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के मासिक मूल्य आंकड़ों के संबंध में किसी भी गतिविधि में लगे हुए व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के अधीन उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

अनुसूची

1. **सांख्यिकी संग्रहण का विषय और प्रयोजन:-**

   अप्रैल, 2018 के बाद से मार्च, 2019 तक के लिए संगठित विनिर्माण क्षेत्र की इकाइयों द्वारा निर्मित चयनित वस्तुओं के थोक मूल्य से संबंधित आंकड़ें लेनदेन के पहले चरण में थोक बिक्री के लिए मासिक कीमत के माध्यम से मासिक आधार पर नियमित रूप से संगृहित किए जा रहे हैं।

2. **सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र:-**

   वर्ष 2018-19 के लिए मूल्य आंकड़ों का सर्वेक्षण समस्त भारत के लिए सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के अधीन संचालित किया जाएगा।

3. **आंकड़े संग्रहण पद्धति:-**

   प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा उसकी अधिकारिता के अधीन सूचना प्रदाताओं को नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें वह तिथि दर्शाई जाएगी जब तक अधिकारी या कार्यालय जिसको, इकाई या इकाइयां जिनके लिए और प्रारूप एवं शैली जिनमें जानकारी दी जानी अपेक्षित है एवं एक सांख्यिकी अधिकारी सूचना प्रदाता को विहित सूचना इलैक्ट्रॉनिक रूप में फाइल करने के लिए, ऐसी अन्य शर्तो के अध्यधीन जो वह नोटिस में विनिर्दिष्ट कर सकेगा, अनुज्ञात कर सकेगा।

4. **सूचना प्रदाताओं की प्रकृति जिनसे आंकड़े संगृहित किए जा सकेंगे :-**

   मूल्य और उत्पादन आंकड़ों के संग्रहण के लिए चयनित किसी इकाई (अर्थात् कोई कारखाना या संस्थान या उद्यम) का स्वामी या अधिभोगी, जिसे सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा वह इकाई के बारे में जानकारी देगा।

5. **अवधि, जिसके दौरान सांख्यिकी संग्रहण पूर्ण किया जा सकता है:-**

प्रत्येक सूचना प्रदाता द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने के लिए तिथि नोटिस में उल्लिखित की जाएगी और वह साधारणतया नोटिस जारी करने की तिथि से एक माह के भीतर होगी।

6. **संदर्भ अवधि:-** 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की जानकारी मासिक आधार पर दी जानी अपेक्षित है।

7. **संगृहीत की जाने वाली जानकारी की प्रकृति:-**

(1) मासिक थोक मूल्य के संबंध में जानकारी अपेक्षित है एवं मद ब्यौरे, इकाइयों के पूर्ण संपर्क ब्यौरे (कार्यालय ई-मेल, मोबाइल, लैंडलाइन नंबर एवं पूर्ण डाक पता) सहित अभिलिखित किए जाने है।

(2) मदों का विवरण थोक मूल्य (मदों के लेनदेन के पहले चरण में थोक बिक्री मूल्य), उत्पाद विशिष्टताएं, लेखा इकाई, वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) एवं व्यापारिक बट्टा की सूचना सहित संग्रहित किया जाएगा।

8. **भाषा, जिसमें सूचना प्रदाता द्वारा जानकारी दी जानी है:-** सूचना प्रदाता निर्दिष्ट प्रारूप में हिन्दी या अंग्रेजी में जानकारी देगा। तथापि, आंकड़ों की सूचना अंग्रेजी में दी जानी चाहिए।

9. **सूचना प्रदाता की बाध्यता:-**

किसी इकाई का स्वामी या अधिभोगी संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा नोटिस में उल्लिखित रीति और तारीख तक सूचना प्रस्तुत करेगा एवं वह निरीक्षण के लिए सुसंगत अभिलेख भी उपलब्ध कराने चाहिए और मांगी गई जानकारी के संबंध में प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, जैसा कि सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अपेक्षित हो।

10. **व्यवसायिक अभिलेखों एवं अन्य अभिलेखों जिनका निरीक्षण किया जा सकता है की प्रकृति:-** किसी इकाई के व्यवसायिक अभिलेख जैसे कि तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा, मस्टर रोल, उपस्थिति रजिस्टर, श्रमिक रजिस्टर, वेतन रोल, निदेशक की रिपोर्ट या इकाई द्वारा जानकारी के समर्थन में दिया गया कोई अन्य विधिक दस्तावेज का सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।

11. **निरीक्षण की रीति:-** संबंधित सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति इकाई द्वारा दी गई जानकारी इकाई के व्यवसायिक अभिलेख या अन्य अभिलेखों के आधार पर सत्यापित करेगा और संबंधित स्वामी या अधिभोगी या इकाई के प्रबंधन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

[फा.सं.ईसी.एडी/बी-11/डब्ल्यूपीडी/2012]

जी.एस. नेगी, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2018

S.O. 1102(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 and section 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009) read with rule 5 and rule 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Ministry of Commerce

and Industry hereby directs collection of statistics on wholesale prices of manufacturing items for the new series of Wholesale Price Index(WPI) through a statistical survey, [hereinafter referred to as "Survey on monthly WPI (Base 2011-12=100) for the Financial Year 2018-19"] as per the details mentioned in the Schedule.

The Ministry of Commerce and Industry hereby appoints statistics officers appointed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Statistics and Programme Implementation number S.O 3699 (E), dated the 21st November, 2017 and as may be further amended from time to time as statistics officers in respect of the geographical units mentioned thereof.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Collection of Statistics Act 2008, the Ministry of Commerce and Industry appoints Miscellaneous Survey Section, National Sample Survey Office (Field Operations Division), Head Quarter, Sankhyiki Bhawan, General Pool Office Accommodation (GPOA) Building, C.B.D. Shahdara, Delhi-110032 as the agency to aid in and supervise the collection of statistics under the survey on monthly wholesale price data for the Financial Years 2018-19**.**

In exercise of the powers conferred by sub-section(4) of section 4 of the Collection of Statistics Act, 2008, the Ministry of Commerce and Industry delegates to all statistics officers, the power of appointing agencies or persons working in such agencies or employing on contract basis any agency or company or organisation or association of persons, conferred on it by sub-section (2) and sub-section (3) of section 4 of the said Act within the geographical units for which the statistics officer is appointed.

Also, the Ministry of Commerce and Industry under sub-section (6) of section 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 delegates to all statistics officers, the power to specify the form, particulars required or the interval within which the statistic officers to whom the statistical information shall be furnished.

The persons authorised by the concerned statistics officer shall carry a photo identity card or a letter of authorisation issued by the concerned statistics officer and would be engaged in their jurisdiction for verification of information furnished by each informant, for inspecting relevant records and for seeking clarifications, as may be necessary.

The statistics collected in respect of the survey on monthly price data for the Financial Year 2018-19 furnished by the informants, after due verification and scrutiny, shall be processed by officials working in the Department of Industrial Policy and Promotion.

The persons engaged in any activity in respect of the monthly price data for the Financial Year 2018-19 shall be governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 and the Collection of Statistics Rules, 2011.

SCHEDULE

1. **Subject and purpose of collection of statistics: -** Statistics relating to wholesale prices of selected commodities manufactured by organised manufacturing sector units is regularly collected through monthly price for bulk sale at first stage of transaction on a monthly basis from April, 2018 onwards till March, 2019.
2. **Geographical area for collection of statistics: -** The monthly price data for the year 2018-19 survey is conducted under the Collection of Statistics Act, 2008 for the whole of India.
3. **Method of data collection: -** A notice shall be issued by each statistics officer to informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom the unit or the units for which, the formats and the manner in which, information is required to be furnished and a statistics officer may permit an informant to file the prescribed information in electronic form, subject to such other conditions that he may specify in the notice.
4. **Nature of informants from whom data may be collected: -** The owner or occupier of a unit (i.e., a factory or establishment or enterprise) selected for collection of data who would be issued notice by a statistics officer shall furnish information about the unit.
5. **Period during which collection of statistics may be completed: -** The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice and it would generally fall within one month from date of issue of notice.
6. **Reference Period: -** Information is required to be furnished from the 1st April, 2018 till the 31st March 2019 on a monthly basis.
7. **Nature of information to be collected: -** (1) Information is required on monthly wholesale price and the item details have to be recorded along with complete contact details of the units (official e-mail, mobile number, landline number and complete postal details).
   (2) The item details to be collected include information on wholesale prices [price for bulk sale at first stage of transaction of the items], and product specifications, accounting unit, Goods and Services Tax and trade discount.

8. **Language in which information is to be furnished by informant: -** An informant shall furnish information in the specified formats, either in Hindi or in English. However, data shall be reported in English.
9. **Obligation of informant: -** An owner or occupier of a unit shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned statistics officer and he should also furnish relevant records for inspection, and answer the questions in relation to the information sought, as may be required by the statistics officer or a person authorised by him.
10. **Nature of business records and other records which may be inspected: -** Business records of a unit, such as balance sheet, profit and loss account, muster rolls, attendance register, labour register, pay rolls, Director's report or any other legal document in support of the information furnished by the unit may be inspected by the statistics officer or a person authorised by him.
11. **The manner of inspection:-** The concerned statistics officer or a person authorised by him shall verify the information furnished by a unit on the basis of business records and other records of the unit and seek clarification from the concerned owner or occupier or a person authorised by the management of the unit.

[F. No. Ec.Ad/B-11/WPD/2012]

G. S. NEGI, Economic Adviser

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.03.14 20:06:12 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.`